

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

कमांक:एफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2024

जयपुर, दिनांक : 14-11-2024

गेहूं आवंटन आदेश माह जनवरी, 2025**(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)**

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7-1/2019-बीपी-III पार्टV (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15-33/2012-NFSA-पार्ट दिनांक 23.11.2023 विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह जनवरी, 2025** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **05.11.2024** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- **माह जनवरी, 2025 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ायी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।**
- 4- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 5- **आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी। वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।**
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। **जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पोस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।**

Gm

- 7- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 8- गेहूं वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 9- सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें। जिला रसद अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी उचित मूल्य दुकान पर आवश्यकता से अधिक स्टॉक एकत्रित न होने पावें।
- 10- ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पोस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 11- माह जनवरी, 2025 के आवंटन में एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक का समायोजन किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ.जारी न हो पावें।
- 14- "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
- 15- माह जनवरी, 2025 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।
- विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 एवं पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह में प्रत्येक दिन समानुपातिक रूप से करते हुए अंतिम तिथि तक शत-प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

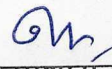
नोट:-वर्तमान में नवसृजित जिलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन पृथक से नहीं किया जा रहा है। नवसृजित जिलों का खाद्यान्न आवंटन पूर्वानुसार ही किया जा रहा है, संबंधित जिला रसद अधिकारी पूर्वानुसार स्थित उचित मूल्य दुकानों हेतु उप-आवंटन/आर.ओ. जारी करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(ब्रह्म लाल जाट)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि आवंटित मात्रा का निर्धारित समयावधि में उठाव करने तथा उचित मूल्य दुकान पर शत-प्रतिशत उठाव मात्रा आपूर्ति हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
10. चरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उचित मूल्य योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। उचित मूल्य दुकानवार निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित मात्रा की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

4/4

परिशिष्ट

NFSA Regular Wheat Allotment January-2025

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	606.416	923.198	383.843	6038.106	7951.563
2	Alwar	645.334	1363.582	479.197	9138.078	11626.191
3	Banswara	1470.587	2344.725	703.865	2984.832	7504.009
4	Baran	1456.954	813.656	174.991	2609.833	5055.434
5	Barmer	777.829	2344.120	362.993	5819.238	9304.180
6	Bharatpur	494.029	1383.058	334.903	5952.580	8164.570
7	Bhilwara	849.144	1538.182	499.564	4600.637	7487.527
8	Bikaner	384.810	1981.503	429.696	3649.570	6445.579
9	Bundi	423.857	694.153	198.445	2592.775	3909.230
10	Chittaurgarh	896.437	891.693	575.313	2465.291	4828.734
11	Churu	738.632	1821.013	375.748	3743.824	6679.217
12	Dausa	324.704	1042.650	158.065	3852.624	5378.043
13	Dhauhpur	290.929	644.519	136.064	3089.848	4161.360
14	Dungarpur	1084.095	2568.798	351.510	2348.769	6353.172
15	Ganganagar	384.374	1297.290	146.752	4106.199	5934.615
16	Hanumangarh	444.663	980.869	171.826	3324.264	4921.622
17	Jaipur	430.092	1554.030	491.575	12431.278	14906.975
18	Jaisalmer	209.368	438.661	109.427	1259.436	2016.892
19	Jalor	732.154	1524.978	327.572	3599.421	6184.125
20	Jhalawar	551.021	1137.656	279.518	3431.154	5399.349
21	Jhunjhunun	309.858	538.830	206.556	5673.064	6728.308
22	Jodhpur	288.897	1733.408	196.830	8136.587	10355.722
23	Karauli	507.119	1348.643	245.685	2401.690	4503.137
24	Kota	313.555	1033.909	159.752	3079.976	4587.192
25	Nagaur	564.257	1353.265	361.254	9333.262	11612.038
26	Pali	611.809	1285.201	341.274	4342.779	6581.063
27	Pratapgarh	475.739	1050.712	256.088	1643.635	3426.174
28	Rajsamand	623.835	943.313	257.067	2592.060	4416.275
29	Sawai Madhopur	505.444	827.872	289.161	2794.808	4417.285
30	Sikar	277.583	791.052	172.647	7327.252	8568.534
31	Sirohi	323.881	554.209	182.618	2600.695	3661.403
32	Tonk	539.584	883.667	347.270	3259.689	5030.210
33	Udaipur	1673.612	3727.141	792.360	4993.958	11187.071
Total		20210.602	43359.556	10499.429	145217.212	219286.799

म-
14.11.24

ब्रह्म लाल जाट (आर.ए.एस.)
उपायुक्त एवं उपशासनसचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग